तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर द्वितीय एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख) सू.अ.अ. अपील संख्या 91 / 2022 व 92 / 2022	
30-05-2022	अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम / पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.03.2022 में (1) जिला कलकटर (भू.अ.) जोधपुर के पत्रांक / भू.अ. / वि.जां / 2019 / 9286 दिनांक 22.08.2019 की पालना में दिये गये आरोप बाद सत्यापित जांच रिपोर्ट की नियमानुसार प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर द्वितीय जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी(भू.अ.) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। उपरोक्त दोनों अपीलों में एक प्रकार की सूचना चाही जाने के कारण इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर द्वितीयएवं प्रभारी अधिकारी 8भू.अ.) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर भू.रू. जोधपुर एवं प्रभारी अधिकारी (भू.अ.)) से जरिये पत्रांक 5644 व 5646 दिनांक 29.04.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर को प्रेषित की जा चुकी है। रिपोर्ट के संलग्न पत्रांक 4004 दिनांक 26.04.2022 के द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) को प्रेषित की जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर, प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी / प्रार्थी को उक्त सूचना नहीं दी गई तो तुरन्त प्रेषित करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता हैं। आदेश की प्रति सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:08:20 IST
Reason: SelfAttested